सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज

S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE

Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Approved by MHRD, Govt. of India

महाविद्यालय जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नियमावली– 2024–25

संस्थान में सकारात्मक, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण तैयार करने, महिला व पुरुष सहकर्मियों एवं छात्र–छात्राओं के मध्य समानता को बढ़ावा देने, लिंग आधारित भेदभाव और आपराधिक हिंसा को रोकने तथा सम्बन्धित शिकायतों के निवारण/समाधान हेतु महाविद्यालय जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का गठन किया गया है।

यह नियमावली महाविद्यालय के पत्र–पत्रांक संख्या–02004/SMR/064/057/2024, दिनांक 01 अगस्त, 2024 के अनुपालन में गठित समिति, जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, आन्तरिक एवं महिला शिकायत समिति प्रभारी, डॉ0 शशिकला, सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग के नेतृत्व में तैयार की गई है।

नियमावली का प्रारूप निम्नवत् है–

1. इसका नाम **सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी0जी0) कॉलेज महाविद्यालय जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (GSCASH)** नियमावली 2024–25 होगा।

(क) यह नियमावली महाविद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा लागू की जाएगी एवं यह नियमावली सत्र–2024 से लागू होगी।

(ख) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'महाविद्यालय जेंडर सेंसटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नियमावली' 2024 होगा।

2. **समिति सदस्य–** समिति में न्यूनतम 04 सदस्य एवं अधिकतम 08 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम दो पुरुष सदस्य होगें। समिति सदस्य के रूप में महाविद्यालय से बाहर के व्यक्ति का भी चयन किया जा सकता है।

3. **समिति के कार्य–** समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे–

1– समिति सेक्सुअल हैरेसमेंट, महाविद्यालय आन्तरिक एवं महिला शिकायतों की जाँच करेगी।

2– समिति प्राप्त शिकायतों के मामलों का समाधान/निपटान करते हुए कार्रवाई करेगी।

3– समिति सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में जागरूक करेगी।

4– सेक्सुअल हैरेसमेंट, आन्तरिक एवं महिला शिकायत के मामलों में पीड़ितों की सहायता करेगी।

4. **शिकायत प्रक्रिया–** शिकायतकर्ता द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, आन्तरिक एवं महिला शिकायत समिति को लिखित रूप में शिकायत देनी होगी। शिकायतकर्ता द्वारा दिये जाने वाले शिकायत पत्र में तथ्यों का विवरण देना अनिवार्य होगा।

5. **जाँच प्रकिया–** जाँच प्रक्रिया में समिति शिकायत पत्र के आधार पर जाँच प्रारम्भ करेगी, साथ ही तथ्यों का संकलन कर पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्ष दोनों के कथन सुनने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही करेगी।

6– **समिति द्वारा की जाने वाली कार्रवाई–** शिकायत की जाँच रिपोर्ट के आधार पर समिति की बैठक आहूत की जायेगी, बैठक में समिति सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णयों के आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

7. **गोपनीयता–** समिति की कार्यवाही गोपनीय होगी, साथ ही शिकायतकर्ता की पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा।

8. **शिकायत जाँच की समय सीमा–** समिति को शिकायत पत्र प्राप्ति तिथि से 30 कार्य दिवसों के भीतर जाँच पूरी कर रिपोर्ट उच्च अधिकारी (प्राचार्य/निदेशक) को देनी होगी।

9. **अपील–** समिति द्वारा समय पर जाँच रिपोर्ट उच्च अधिकारी को न सौंपने या समिति द्वारा लिए गये निर्णयों के खिलाफ दोनों पक्षों द्वारा अपील संस्थान के उच्च अधिकारी (प्राचार्य/निदेशक) से की जा सकती है।

अध्यक्ष डॉ0 शशिकला सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग	सदस्य सुश्री आशा सिंह सहायक प्राध्यापक शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य श्री रिंकूदास भारती सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग	सदस्य डॉ0 रीना रांगड़ सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग

सदस्य श्री गम्भीर सिंह प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य श्रीमती ममता तोमर समाजसेवी	सदस्य सोनिया छात्रा/एम0ए0 I सेम0	सदस्य रविता छात्रा/बी0ए0 III सेम0	आ0 सदस्य आशीष वर्मा छात्र/बी0ए0V सेम0

डॉ0 रेनू गुप्ता
प्राचार्य

श्री अनिल सिंह तोमर
चेयरमैन